दिनांक 05–04–2013 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिजली वितरण की समस्याओं के संबंध में सभी जिलाधिकारियों, प्रभारी प्रधान सचिवों एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉफ्रेन्सिंग की कार्यवाही के मुख्य बिन्दु।

1. **उपस्थिति : सूची संलग्न।**

2. सर्वप्रथम मुख्य सचिव, बिहार ने बताया कि पिछले कुछ महिनों से जिलाधिकारियों एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉफ्रेन्सिंग के माध्यम से बिजली वितरण से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु लक्ष्य निर्धारित किये जाते रहे हैं। यह संतोष का विषय है कि आज राज्य में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर (उच्च क्षमता वाला) 24 घण्टे से अधिक समय से खराब नहीं है। वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब ही ना हो इसके लिए preventive measures अपनाया जाना है तथा जिस वितरण ट्रान्सफॉरमर पर नियमित विद्युत उपभोक्ताओं का विद्युत भार अधिक हो उसका क्षमता विस्तार किया जाना है। गरमी के मौसम में ट्रांसफार्मर की देख–रेख पर विशेष ध्यान दिया जाना है। सभी खराब ट्रांसफार्मरों का पूरा रिपोर्ट तैयार कर कारणों का विश्लेषण कर स्थायी समाधान निकाला जाना है। छोटे ट्रांसफार्मरों यथा 16 के0वी0ए0 एवं 25 के0वी0ए0 काफी संख्या में खराब हैं। इसे मरम्मत कराने अथवा इसके स्थान पर अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने के लिए हमें एक कार्य योजना बनानी होगी। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 16/25 के.वी.ए. के खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर के संबंध में प्रतिवेदन तैयार किया जाना है।

3. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बताया गया कि मीटर का अधिष्ठापन कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसे लक्ष्यबद्ध ढंग से कराया जाना है। ऐसी भी खबर मिली है कि कुछ उपभोक्ताओं द्वारा मीटर लगवाने में आनाकानी की जा रही है, निदेश दिया जाता है कि वैसे सरकारी/निजी उपभोक्ताओं के यहाँ सख्ती से मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। अधिष्ठापित मीटर को बिलिंग सायकल में शीघ्र लाया जाना है तथा मीटर रिडिंग के आधार पर विपत्रीकरण कर शत–प्रतिशत विपत्र वितरण करते हुए राजस्व संग्रहण सुनिश्चित किया जाना है।

4. निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम शहरी क्षेत्र के दुर्घटना संभावित जगहों की प्राथमिकता तय कर जिलाधिकारियों द्वारा रिकंडक्टरिंग कराया जाना है।

5. पूरे राज्य के विद्युत वितरण एवं संचरण प्रणाली के constraints का विश्लेषण कर लिया गया है। विश्लेषण प्रतिवेदन के आधार पर नये पावर सब–स्टेशन/ग्रीड सब–स्टेशन लगाये जाने की आवश्यकता है, साथ ही पुराने पावर सब–स्टेशन/ग्रीड सब–स्टेशन का क्षमता विस्तार किया जाना है, 33 के0वी0 तथा 11 के0वी0 के नये फीडर बनाए जाने हैं एवं पुराने एवं जर्जर तार को बदला जाना है। सभी constraints के विश्लेषण के आधार पर Short term एवं Long term योजना बनाया जाना है।

6. सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा बताया गया कि बिजली कम्पनी के कार्यों में काफी सुधार हुआ है। सम्प्रति बिहार में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की संख्या शून्य हो गयी है। गरमी मौसम में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की संख्या शून्य रखने के लिए करीब 1400 खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को शीघ्र रिपेयर कर प्रमंडलीय भंडारों को भेजा जाना है ताकि वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने पर तुरत बदला जा सके। नार्थ बिहार में इस महीने करीब 96000 मीटर का अधिष्ठापन हुआ है। पिछले महीने के मुकाबले अच्छी प्रगति हुई है। निदेश दिया गया कि इस कार्य में और तेजी लाते हुए जून,2013 तक सभी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। मार्च, 2013 में लगभग 57000 उपभोक्ताओं को Billing Cycle में लाया गया है। पिछले महीने की अपेक्षा मीटर रीडिंग में भी सुधार हुआ है, पर काफी सुधार की आवश्यकता है। सभी मीटरिंग, मीटर रिडिंग,

विपत्रीकरण एवं विपत्र वितरण एजेंसी के कार्यों का नियमित अनुश्रवण कर जुलाई,2013 तक सभी कार्य–क्षेत्रों में शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

7. उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में असुविधा न हो इसके लिए दोनों बिजली कम्पनियों द्वारा नये काउन्टर खोले जाने हेतु निदेश दिया गया था। नॉर्थ बिहार में 126 अतिरिक्त विद्युत विपत्र भुगतान केन्द्र खोला गया है। इसके अलावे दोनो विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु बैंक के साथ एकरारनामा किया जा रहा है। जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि स्थानीय स्तर पर इस कार्य की समीक्षा कर लें। विद्युत विपत्र भुगतान केन्द्र पर उपभोक्ताओं से विद्युत विपत्र का आंशिक भुगतान नहीं लिये जाने के शिकायत मिलती है। निदेश दिया गया कि उपभोक्ताओं से आंशिक भुगतान लिया जाना है। इसे उपभोक्ताओं के बीच प्रचारित किया जाना है।

8. बिजली चोरी के विरूद्ध नॉर्थ बिहार में 1063 एवं साउथ बिहार में 1110 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। अनुवर्त्ती कार्रवाई साथ–साथ की जानी है। जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी एवं प्राथमिकी को effective बनाने के लिए follow up action अत्यावश्यक है।

9. रिकन्डक्टरिंग के कार्य में प्रगति संतोषनजक नहीं है। रिकंडक्टरिंग का जो कार्य हो भी रहा है उसका released materials उचित मात्रा में भंडार में नहीं आ रहा है। निदेश दिया गया कि संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियन्ता/विद्युत अधीक्षण अभियन्ता अनुश्रवण कर नियमानुसार शत–प्रतिशत released materials भंडार में जमा किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा जिलाधिकारी अपने स्तर से भी इसकी जाँच करवा लें।

10. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि पिछले विडियो कॉफ्रेन्सिंग में मुख्य सचिव महोदय के निदेशानुसार ट्रान्सफॉरमर में खराबी के investigation के लिए proforma निर्गत कर दिया गया है तथा हरेक खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर का investigation कर निर्गत proforma में प्रतिवेदन indent के साथ निश्चित रूप से संलग्न किया जाना है। दिनांक 21–03–2013 को सम्पन्न प्रधान अधिकारियों की बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों को पुनः दिशा–निर्देश दिया गया है। मुख्य परियोजना प्रबंधक (तकनीकी सेवाएँ) को निदेश दिया गया है कि टी.आर.डब्ल्यू. में मरम्मत किये गये वितरण ट्रान्सफॉरमर का टेस्टिंग भलीभाँति करवाएँ ताकि अपेक्षित गुणवत्ता सुनिश्चित किया जा सके।

11. खेतों में फसल लगे रहने के कारण पोल खड़ा करने एवं तार लगाने में कई जगह ROW की समस्या उत्पन्न हुई थी। फसल की कटनी का समय आ गया है, अतः इस अवधि में पोल गाड़ने, तार लगाने इत्यादि शेष कार्यों को कार्यरत एजेन्सियों पर दबाव बना कर शीघ्र करवा लिया जाना है।

12. पावर सब–स्टेशन एवं फीडर प्रबंधन अतिमहत्वपूर्ण है। अतः निदेश दिया गया है कि उपलब्ध बिजली का सुचारू रूप से वितरण हो इसके लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा निश्चित रूप से नियमित निगरानी की जानी है।

13. पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रतिवेदन 14 जिलों से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसे जल्द–से–जल्द जिलाधिकारियों द्वारा भेजा जाना है।

14. प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि जून,2013 तक शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मीटर अधिष्ठापन के साथ मीटरीकृत उपभोक्ताओं को बिलिंग सायकल में लाना जरूरी है। निदेश दिया गया कि 10 अप्रैल,2013 तक सभी मीटरीकृत उपभोक्ताओं को बिलिंग सायकल में लाना सुनिश्चित किया जाना है। विद्युत वितरण के महत्वपूर्ण कार्य–क्षेत्रों में सुधार हेतु सभी जिलों का ग्रेडिंग किया गया है। अररिया जिला को

पहला स्थान मिला है। अररिया जिला में पिछले माह मात्र एक वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुआ। अधिकांश जिलों में Meter Reading की स्थिति बहुत खराब है। अधिकांश जगहों पर विपत्रीकरण के बावजूद विपत्र वितरण नहीं हो पा रहा है। निदेश दिया गया कि सभी उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र ससमय निश्चित रूप से प्राप्त करा दिया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा होमगार्ड का पदस्थापन बहुत जगहों पर किया जा चुका है। अन्य जगहों पर भी जिलाधिकारी द्वारा होमगार्ड के पदस्थापन हेतु अनुरोध किया गया ताकि विद्युत चोरी के विरूद्ध नियमित रूप से छापेमारी की कार्रवाई की जा सके। राजस्व वसूली हेतु सभी ब्लॉक में नया काउन्टर खोलने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 100 जगहों पर शीघ्र ही विद्युत विपत्र भुगतान केन्द्र कार्य करने लगेंगे। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सभी शाखाओं द्वारा शीघ्र विद्युत विपत्र का भुगतान लेना शुरू कर दिया जायगा। निदेश दिया गया कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के साथ अपेक्षित समन्वय किया जाना है।

15. नॉर्थ बिहार में 06 जगहों पर नये टी.आर.डब्ल्यू. 30–04–2013 से कार्य करना शुरू कर देगा।

16. निदेश दिया गया कि इस माह में नये विद्युत उपभोक्ता बनाये जाने हेतु अभियान चलाया जाना है।

17. प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लि0 ने बताया कि जिले के ग्रेडिंग में टॉप–10 में साउथ बिहार का 07 जिला है। राजस्व संग्रहण एवं विद्युत चोरी के विरूद्ध प्राथमिकी में अच्छी कार्रवाई हुई है। निदेश दिया गया कि नये विद्युत संबंध हेतु शिविर का आयोजन किया जाना है जिसमें मीटर अधिष्ठापन एजेन्सी मीटर के साथ उपस्थित रहेंगे तथा शिविर में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन तत्काल में ही करते हुए नये विद्युत संबंध दिया जाना है। जिलों को सेक्टर में बाँट कर पूरे माह मीटर रिडिंग एवं विपत्र वितरण का कार्य कराते हुए राजस्व संग्रहण किया जाना है। निदेश दिया गया कि सभी महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक जिला को सेक्टर में बाँटते हुए प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा जाना है। बिलिंग एजेन्सी का एक आदमी निश्चित रूप से प्रमंडल कार्यालय में उपलब्ध रहेगा जिसकी सूची सभी विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को उपलब्ध करा दिया जायगा। खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की जाँच हेतु format निर्गत किया गया है और pin-pointed responsbility fix करने की आवश्यकता है। सभी विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल ट्रान्सफॉरमर ऑयल भेज दिया गया है। कनीय विद्युत अभियन्ता/सहायक विद्युत अभियन्ता के रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जायगा।

18. मुख्य सचिव द्वारा सख्त निदेश दिया गया कि एक माह में सभी वितरण ट्रान्सफॉरमर में निश्चित रूप से preventive measures अपनाया जाना है।

19. सभी जिलाधिकारियों को विद्युत संबंध विच्छेदित एल.टी.आई.एस. उपभोक्ताओं की सूची भेजी जा रही है, निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी इसकी जाँच अपने स्तर से करा लें। विद्युत संबंध विच्छेदित एल.टी.आई.एस. उपभोक्ताओं द्वारा बिजली उपभोग करते पाये जाने पर संबंधित कनीय विद्युत अभियन्ता/सहायक विद्युत अभियन्ता पर कठोर कार्रवाई की जानी है।

20. जिन जिलों द्वारा पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है वे एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन निश्चित रूप से भेज दें।

21. निदेश दिया गया कि सभी मीटरीकृत उपभोक्ताओं को Billing Cycle में लाया जाना है तथा मीटर पठन के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित किया जाना है।

22. जिलाधिकारियों द्वारा अनुरोध किया गया कि मुख्यालय स्तर से जिला में यदि विद्युत अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु शिविर लगाया जाता तो रिकंडक्टरिंग हेतु अधिक संख्या में मानव–बल उपलब्ध हो सकते हैं।

23. निदेश दिया गया कि टी.आर.डब्ल्यू. में रिपयेर किये जा रहे वितरण ट्रान्सफॉमर के गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है तथा जो वितरण ट्रान्सफॉरमर नियमित उपभोक्ताओं के विद्युत भार अधिक होने के कारण ओवर–लोडेड हैं उसकी क्षमता विस्तार का प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाना है।

24. ऊर्जा सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि अलग–अलग एजेन्सी नियुक्त कर मीटर अधिष्ठापन, मीटर रिडिंग, विपत्र वितरण इत्यादि कार्यों के सम्पादन में लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि समाचार पत्र में विज्ञापन निकाल कर एजेन्सियों की नियुक्ति की जानी है।

25. निदेश दिया गया कि एच.टी. उपभोक्ताओं का रिमोट मीटर रीडिंग करना सुनिश्चित किया जाना है।

26. निदेश दिया गया कि पूरे राज्य में बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में तेजी लाई जानी है तथा गिरफ्तारी निश्चित रूप से किया जाना है।

27. ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि 31 मार्च 2013 तक जिन सरकारी उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया गया है उनका विद्युत संबंध विच्छेद किया जाना है।

28. निदेश दिया गया कि फीडर फ्रेन्चाईजी के कार्यों की समीक्षा जिलाधिकारी स्तर पर की जानी है।

29. निदेश दिया गया कि नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत वैसे ऊर्जान्वित राजकीय नलकूप जिसमें संयुक्त सत्यापन के दरम्यान त्रुटि पायी गयी है, उसका निराकरण करा कर शीघ्र लघु जल संसाधन विभाग को सौंपे जाने की कार्रवाई की जानी है।

30. निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर जहाँ वितरण ट्रांसफार्मर का भंडारण है या टी.आर.डब्ल्यू. कार्यरत है वहाँ यदि शाम में कोई वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होता है तो उसे रात में निश्चित रूप से बदल दिया जाना है जिससे शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे में वितरण ट्रान्सफॉरमर बदले जाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके एवं ग्रामीण क्षेत्रों के खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को 72 घण्टे में बदलने का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त किया जाना है।

31. नये विद्युत संबंध हेतु अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। निदेश दिया गया कि जिस परिसर के लिए नया विद्युत संबंध मांगा जा रहा है उस परिसर पर विद्युत विपत्र का बकाया नहीं है इसकी जाँच विद्युत संबंध देने के पूर्व निश्चित रूप से कर ली जानी है।

32. जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जो वितरण व्यवस्था में constraints हैं जैसे वितरण ट्रांसफर्मर का क्षमता विस्तार, पुराने एवं जर्जर तारों को बदला जाना इत्यादि वैसे कार्य को अपने स्तर से प्राथमिकता पर अनुश्रवण कर पूरा कराया जाना है।

33. निदेश दिया गया कि रूपये 1,00,000 से अधिक बकायावाले एल0टी0आई0एस0 उपभोक्ताओं का विद्युत संबंध विच्छेद किया जाना है।

34. **जिलावार समीक्षा का प्रतिवेदन संलग्न।**

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–प्र02/विविध–वि0को0–19/12 2077 पटना, दिनांक– 24/4/13

प्रतिलिपि :–सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/13

सरकार के अपर सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–प्र02 / विविध–वि0को0–19 / 12 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :–सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–प्र02 / विविध–वि0को0–19 / 12 2077 पटना, दिनांक– 24/4/13

प्रतिलिपि :–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना को सूचनार्थ।

अनुरोध है कि कार्यवाही की प्रति अपने स्तर से बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना के संबंधित पदाधिकारी को अनुपालन हेतु प्रेषित करने की कृपा की जाय।

24/4/13
सरकार के अपर सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

दिनांक 05–04–2013 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिजली वितरण की समस्याओं के संबंध में सभी जिलाधिकारियों, प्रभारी प्रधान सचिवों एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के पदाधिकारियों के साथ जिलावार विडियो कॉफ्रेन्सिंग की कार्यवाही।

1. पूर्णियाँ जिलाः

1.1 जिले में कोई वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है। पिछले माह 13 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुआ था जिसमें सबसे अधिक 07 पूर्णियाँ (ग्रामीण) प्रमंडल में खराब हुआ है।

1.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में मीटर अधिष्ठापन के कार्य में प्रगति नहीं हो रही है जिसका मुख्य कारण कार्यरत एजेन्सी के पास पर्याप्त संख्या में मानव–बल का नहीं होना है। निदेश दिया गया है कि एजेन्सियों की संख्या बढ़ा कर लक्ष्य के अनुसार मीटर अधिष्ठापन का कार्य कराया जाना है। मुख्य सचिव द्वारा पूर्णियाँ (ग्रामीण) प्रमंडल के सभी सहायक विद्युत अभियन्ताओं को निदेश दिया गया कि मई,2013 तक मीटर अधिष्ठापन का लक्ष्य पूरा करें अन्यथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जायगी।

1.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में पिछले माह 533 सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया गया है। शेष 90 सरकारी उपभोक्ता जो पुलिस विभाग से संबंधित हैं जहाँ पिछले माह मीटर नहीं लगाने दिया गया था। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह में शेष सभी 90 सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा।

1.4 जिले में 199.10 लाख यूनिट बिजली आपूर्त्ति के विरूद्ध 130.60 लाख यूनिट का विपत्रीकरण किया गया। विपत्रीकरण दक्षता 65.60 प्रतिशत एवं राजस्व संग्रहण 88.24 प्रतिशत है। जिले में 98808 उपभोक्ताओं में से 86221 उपभोक्ताओं का विपत्र वितरण किया गया। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि शत–प्रतिशत मीटरींग, मीटर पठन, मीटर पठन के आधार पर विपत्रीकरण तथा विपत्र वितरण सुनिश्चित किया जाना है।

1.5 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध की गयी छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 78 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया, 05 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है तथा रू0 38.18 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू0 21.80 लाख की वसूली की गयी है। धारा–126 के अन्तर्गत 34 उपभोक्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की गयी तथा रू01.04 लाख की वसूली की गयी।

1.6 जिले में 11 के.वी. एवं एल.टी. लाईन में करीब 66 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य मार्च,2013 में कराया गया है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निदेश दिया कि रिकंडक्टरिंग के अनुपात में रिलिज्ड मैटेरियल भंडार में निश्चित रूप से जमा किया जाना है, इसकी जाँच अपने स्तर से नियमित रूप से करायेंगे।

1.7 जिले में नौ प्रखंडों में पावर सब–स्टेशन हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाना है जिसमें से 08 पावर सब–स्टेशनों हेतु प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा जा चुका है। कसबा में पावर सब–स्टेशन हेतु पूर्व में चिन्हित जमीन को नदी के किनारे होने के कारण अनुपयुक्त करार दिया गया है अतः उपयुक्त जमीन चिन्हित् की जा रही है।

1.8 सर्टिफिकेट केस के निष्पादन में कोई विशेष प्रगति नहीं है। मार्च,2013 में रू0 8.65 लाख का वसूली हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि टॉप–20 सूची के प्रथम सर्टिफिकेट केस में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर पारित है। अन्य सर्टिफिकेट केस में कुर्की जब्ती निर्गत किया गया है तथा शेष मामलों में निर्गत किया जा रहा है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि सर्टिफिकेट केस का अनुश्रवण कर इसके निष्पादन की कार्रवाई की जानी है।

2. कटिहार जिलाः

2.1 जिले में कोई वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है। पिछले माह 09 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुआ था। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने का मुख्य कारण प्रोपर साईज का फ्यूज का नहीं होना एवं लोड बैलेन्सिंग नहीं रहना है। जिलाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में विद्युत कार्यपालक अभियन्ता से स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है।

2.2 जिले में विपत्र वितरण की स्थिति ठीक नहीं है। शहरी क्षेत्र में भी करीब 26000 उपभोक्ताओं के विरूद्ध करीब 21000 विपत्र वितरण किया गया है। निदेश दिया गया कि इस कार्य में अविलम्ब सुधार की आवश्यकता है। जिले के शहरी क्षेत्र का विपत्रीकरण दक्षता करीब 60 प्रतिशत है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विपत्रीकरण एजेन्सी का कार्य संतोषजनक नहीं है। उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अप्रैल,2013 से नई एजेन्सी कार्य शुरू कर देगा।

2.3 जिले में में बिजली चोरी के विरूद्ध की गयी छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 16 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया, 03 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है तथा रू0 3.98 लाख दण्डात्मक राशि की वसूली की गयी है। धारा–126 के अन्तर्गत 05 उपभोक्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की गयी। बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में तेजी लाने हेतु निदेश दिया गया।

2.4 जिले में 244 सर्टिफिकेट केस दर्ज है जिसमें रू0 1.16 करोड़ राजस्व सन्निहित है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 24 के विरूद्ध कुर्की जब्ती एवं 48 के विरूद्ध बॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है।

2.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि समेली प्रखंड में पावर सब–स्टेशन हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेज दिया गया है।

2.6 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि वितरण ट्रान्सफॉरमर में ऑयल टॉप अप हेतु सभी विद्युत कार्यपालक अभियन्ताओं को निदेश दिया गया है कि वे अपने निकटतम टी.आर. डब्ल्यू. से ट्रान्सफॉरमर ऑयल लेकर सभी वितरण ट्रान्सफॉरमर का ऑयल टॉप अप करा लिया जाना है। जिलाधिकारी अपने स्तर से इसकी समीक्षा कर लें।

2.7 प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने बताया कि जिले में 853 एल.टी.आई.एस. उपभोक्ताओं में से मात्र 210 उपभोक्ता ही प्रभावी हैं। 853 एल.टी.आई.एस. की सूची जिलाधिकारी को भेजी जा रही है उसकी जाँच अपने स्तर से करा लिया जाना है।।

3. किशनगंज जिलाः

3.1 जिले में कोई वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है। पिछले माह 04 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुआ था। बताया गया कि अधिकतर वितरण ट्रान्सफॉरमर ओवर–लोडिंग के कारण खराब हुआ है। ओवर लोडिंग के संबंध में पूर्व में ही सभी विद्युत कार्यपालक अभियन्ता/सहायक विद्युत अभियन्ताओं को निदेश दिया गया था कि यदि नियमित उपभोक्ताओं का लोड अधिक है तो ट्रान्सफॉरमर का क्षमता विस्तार किया जाना है। गैरकानूनी बिजली उपभोग करने वालों के विरूद्ध छापेमारी की जानी है।

3.2 जिले में 13260 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। इस कार्य हेतु 04 एजेन्सी कार्यरत है। निदेश दिया गया कि एजेन्सी पर मानव–बल बढ़ाने के लिए दबाव दिया जाना है एवं मई,2013 तक शत–प्रतिशत मीटर अधिष्ठापन के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाना है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि मीटर अधिष्ठापन के कार्य का नियमित अनुश्रवण कर निर्धारित अवधि में पूरा कराया जाना है। सभी सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया गया है।

3.3 जिलाधिकारी ने बताया कि रू0 1.00 लाख से अधिक बकाये वाले तथा रू0 50.00 हजार से अधिक बकाये वाले उपभोक्ताओं की सूची माँगी गयी है ताकि इनसे राजस्व वसूली हेतु प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

3.4 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध की गयी छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 21 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया तथा धारा–126 के अन्तर्गत 20 उपभोक्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की गयी। धारा–135 के अनतर्गत रू0 13.38 लाख की दण्डात्मक राशि की वसूली की गयी है। ।

3.5 जिले में सर्टिफिकेट केस में 19 के विरूद्ध कुर्की जब्ती तथा 08 के विरूद्ध बॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है। सर्टिफिकेट केस के निष्पादन में तेजी लाने की आवश्यकता है। टॉप–20 सर्टिफिकेट केस में कोई वसूली नहीं हुई है। जिलाधिकारी ने बताया कि सर्टिफिकेट केस के दो बकायेदार पश्चिम बंगाल के हैं तथा उनका पता लगाया जा रहा है।

3.6 कोचाधामन में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर लिया गया है।

3.7 जिले के प्रभारी सचिव द्वारा टेढ़ागाँछ के विद्युतीकरण एवं पावर सब–स्टेशन के निर्माण कराने की चर्चा की गयी। उपर्युक्त कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया में है।

4. मुजफ्फरपुर जिलाः

4.1 जिले में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है। मार्च,2013 में 20 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुए थे। निदेश दिया गया कि preventive measures निश्चित रूप से अपनाया जाना है ताकि वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने पर काबू पाया जा सके।

4.2 जिले में 46 प्रतिशत उपभोक्ताओं का ही विपत्र वितरण किया जा रहा है। अधिक संख्या में मीटरीकृत उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्हें बिलिंग सायकल में नहीं लाया जा सका है। निदेश दिया गया कि सभी मीटरीकृत उपभोक्ताओं को बिलिंग सायकल में लाया जाना है। सभी सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया गया है।

4.3 जिले में राजस्व संग्रहण दक्षता 48 प्रतिशत है। निदेश दिया गया कि राजस्व संग्रहण में अधिक सुधार की आवश्यकता है।

4.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत सामग्रियों की चोरी के संबंध में 08–04–2013 को बैठक निर्धारित है जिसमें आरक्षी अधीक्षक भी रहेंगे।

4.5 सर्टिफिकेट केस में प्रगति असंतोषजनक है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल के लिए एक–एक सर्टिफिकेट ऑफिसर की प्रतिनियुक्ति की जा रही है ताकि सर्टिफिकेट केस के निष्पादन में प्रगति हो। पावर कम्पनी के तरफ से सर्टिफिकेट केस की सुनवाई में कोई प्रतिनिधि नहीं जाते हैं, जिसके कारण भी प्रगति बाधित है।

4.6 मार्च,2013 में 11 के.वी. एवं एल.टी.लाईन में क्रमशः 14.8 कि.मी. एवं 11.9 कि.मी. रिकंडक्टरिंग का कार्य हुआ है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी अपने स्तर से रिलिज्ड मैटेरियल के एकाउन्टल की जाँच करवा लें।

4.7 जिले के औराई एवं सकरा में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु सरकारी भूमि के हस्तान्तरण का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेज दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पावर सब–स्टेशन के निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।

4.8 शहरी क्षेत्रों में ऑन–लाईन पेमेन्ट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया।

4.9 जिले में करीब 44000 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। निदेश दिया गया कि प्रतिमाह 15000 मीटर अधिष्ठापित करने का लक्ष्य निर्धारित कर जून,2013 तक निश्चित रूप से शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया जाना है। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि 10 अप्रैल,2013 तक सभी मीटरीकृत उपभोक्ताओं को बिलिंग सायकल में निश्चित रूप से लाया जाना है तथा मीटर पठन के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित किया जाना है।

5. पश्चिम चम्पारण जिलाः

5.1 जिले में कोई वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है। पिछले माह 11 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुआ है। निदेश दिया गया कि वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब ना हो इसके लिए निश्चित रूप सावधानियाँ बरती जानी है। वितरण ट्रान्सफॉरमर पर गैरकानूनी बिजली उपभोग के कारण लोड ज्यादा होने की स्थिति में छापेमारी किया जाना है। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बेतिया में मार्च,2013 में 10 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुआ है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि संबंधित सहायक विद्युत अभियन्ता एवं विद्युत कार्यपालक अभियन्ता पर सख्त कार्रवाई किया जाना है।

5.2 जिले में कार्यरत मीटर रिडिंग एजेन्सी का कार्य असंतोषजनक है। मात्र 33 प्रतिशत मीटर रिडिंग हो रहा है। विपत्र वितरण हेतु 04 एजेन्सी कार्यरत है, आदमी की कमी के कारण शत–प्रतिशत विपत्र वितरण का कार्य भी नहीं हो पा रहा है। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि वे अपने स्तर पर मीटरींग, मीटर रिडिंग एवं विपत्र वितरण एजेन्सियों की बैठक बुलाकर कार्यों की समीक्षा करें।

5.3 बेतिया सब–डिविजन को छोड़कर अन्य तीनों सब–डिविजन यथा बगहा, रामनगर, नरकटियागंज में रिकंडक्टरिंग का कार्य मार्च,2013 में शून्य है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि रिकंडक्टरिंग का कार्य विद्युत अनुज्ञप्ति वाले ठीकेदार से कराया जाना है।

5.4 जिले के टॉप 20 सर्टिफिकेट केस में से चार मामला निष्पादित हो गया है तथा 08 मामले में rejoinder दिया गया है।

6. पूर्वी चम्पारण जिलाः

6.1 जिले में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है। पिछले माह 18 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुआ है जिसमें से 16 ट्रान्सफॉरमर ओवर–लोडिंग के कारण तथा दो पुराना (तीन बार रिपेयर किया हुआ ट्रान्सफॉरमर था) होने के कारण खराब हुआ है।

6.2 जिले में करीब 13000 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मई,2013 तक शत–प्रतिशत मीटर का अधिष्ठापन पूरा कर लिया जायगा।

6.3 जिले में विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के तहत 85 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा धारा–126 के तहत 39 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है। धारा–135 के अन्तर्गत रू0 13.63 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू011.23 लाख की वसूली की गयी है।

6.4 जिले में विगत माह मात्र 20 किलोमीटर रिकंडक्टरिंग का कार्य हुआ है। निदेश दिया गया कि रिकंडक्टरिंग कार्य में इस माह निश्चित रूप से तेजी लायी जानी है।

6.5 जिले में 09 प्रखंडों में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

6.6 ऊर्जा सचिव द्वारा जिले में मीटरींग एवं विपत्र वितरण के असंतोषजनक प्रगति पर चिंता व्यक्त की गयी। जिले के सर्टिफिकेट केस से संबंधित रिपोर्ट नहीं भेजा गया है।

6.7 जिले में 394 एल.टी.आई.एस. उपभोक्ताओं में मात्र 29 उपभोक्ता ही रह गये हैं शेष का विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया गया है। एल.टी.आई.एस. उपभोक्ताओं की सूची जिलाधिकारी को भेजी जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से विद्युत संबंध विच्छेदित एल.टी.आई.एस. उपभोक्ताओं की जाँच करा ली जानी है कि उनके द्वारा विद्युत का उपभोग किया जा रहा है अथवा नहीं।

7. **सीतामढ़ी जिलाः**

7.1 जिले में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की संख्या शून्य है। मार्च,2013 में 16 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुआ है। इनमें 04 वितरण ट्रान्सफॉरमर टी.आर.डब्ल्यू. द्वारा रिपेयर किया गया था। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) द्वारा टी.आर.डब्ल्यू. को रिपयेर किये जा रहे वितरण ट्रान्सफॉमर के गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने हेतु निदेश दिया गया। जो वितरण ट्रान्सफॉरमर ओवर–लोडेड है उसकी क्षमता विस्तार का प्रस्ताव भेजे जाने का निदेश दिया गया।

7.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मई,2013 तक सभी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कर दिया जायगा। मार्च,2013 में शत–प्रतिशत सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया गया है।

7.3 जिले में मार्च,2013 में 18.6 कि.मी. रिकंडक्टरिंग किया गया है। निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुसार रिकंडक्टरिंग सुनिश्चित कराया जाना है।

7.4 सर्टिफिकेट केस में कोई प्रगति नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अप्रैल,2013 से प्रगति होगी।

7.5 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 31 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया है तथा दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। धारा–126 के अन्तर्गत 05 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है।

7.6 परसौनी एवं बोखरा में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

8. **शिवहर जिलाः**

8.1 जिले में 4511 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापन किया जाना है। निदेश दिया गया मई,2013 तक निश्चित रूप से सभी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कर दिया जाना है।

8.2 जिले में 18 सरकारी उपभोक्ता हैं। सभी के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया गया है। निदेश दिया गया कि मीटर रिडिंग के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित किया जाना है।

8.3 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 09 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। धारा–126 के अन्तर्गत मात्र एक उपभोक्ता के विरूद्ध कार्रवाई की गयी है। बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। निदेश दिया गया कि बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में तेजी लायी जानी है तथा बिजली चोरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी है।

8.4 जिले में मात्र 06 कि.मी. रिकंडक्टरिंग किया गया है। निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुसार रिकंडक्टरिंग कराया जाना है तथा उसके अनुपात में रिलिज्ड मैटेरियल भंडार में निश्चित रूप से जमा किया जाना है।

9. **वैशाली जिलाः**

9.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मीटर अधिष्ठापन में प्रगति कम है। अभी 12 एजेन्सी के 28 टीम द्वारा मीटर अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है। ऊर्जा सचिव ने

निदेश दिया कि मई,2013 तक निश्चित रूप से शत–प्रतिशत मीटर अधिष्ठापन का कार्य पूरा कर लिया जाना है।

9.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बैशाली जिला के विपत्रीकरण हेतु पूरा डाटा जमशेदपुर भेजा जाता है तथा वहीं से विपत्र बन कर आता है तत्पश्चात् विपत्र वितरण होता है। हाजीपुर में ही बिलिंग कराये जाने का अनुरोध किया गया। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने बताया कि वैशाली जिला का बिलिंग मुजफ्फरपुर में किया जायगा तथा प्रत्येक माह के 10 तारिख तक विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को निश्चित रूप से मिल जायगा।

9.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि हाजीपुर में 132 के.वी. संचरण लाईन में टावर लगाये जाने में ROW की समस्या है जिसके समाधान का प्रयास किया गया। जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि इस समस्या के समाधान हेतु मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर एक बैठक की आवश्यकता है जिसमें संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को बुलाये जाने की आवश्यकता है।

9.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस के टॉप–20 मामलों मे से 05 मामलों में सुनवाई चल रही है, 05 मामलों में बॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है तथा 09 मामले मुख्यालय स्तर पर लम्बित हैं। जिले के प्रभारी सचिव द्वारा बताया गया कि बॉडी वारण्ट का execution नहीं हो रहा है। इसे सुनिश्चित किया जाना है।

9.5 जिले में एच.टी.उपभोक्ताओं की संख्या ज्यादा है। निदेश दिया गया कि एच.टी. उपभोक्ताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना है। एच.टी. उपभोक्ताओं का रिमोट मीटर रिडिंग करना सुनिश्चित किया जाना है।

10. गोपालगंज जिलाः

10.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मीटर अधिष्ठापन का कार्य मीटर की अनुपलब्धता के कारण बाधित था। विद्युत आपूर्त्ति अंचल,छपरा के भंडार में 16000 मीटर उपलब्ध है। बताया गया कि 2500 मीटर आज गोपालगंज को मिल जायगा। जिलधिकारी को निदेश दिया गया कि मीटर की कमी की स्थिति में निश्चित रूप से प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) को बताया जाना है।

10.2 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में 52 व्यक्तियों पर धारा–135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

10.3 जिलाधिकारी ने बताया कि सर्टिफिकेट केस का व्यापक रूप से समीक्षा किया जा रहा है।

10.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि थावे में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव चिन्हित निजी जमीन के मूल्याकंन हेतु वापस आ गया है। इसे शीघ्र भेज दिया जायगा।

10.5 निदेश दिया गया कि 11 अमीटरीकृत सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ जल्द–से–जल्द मीटर अधिष्ठापित करा दिया जाना है तथा मीटर रिडिंग के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित किया जाना है।

10.6 बरौली विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल का कार्य–कलाप असंतोषजनक है, जिलाधिकारी अपने स्तर पर इसकी समीक्षा करेंगे।

10.7 जिले में एल.टी.आई.एस. उपभोक्ताओं की संख्या 10 प्रतिशत रह गया है। जिलाधिकारी विद्युत संबंध विच्छेदित एल.टी.आई.एस. उपभोक्ताओं की जाँच अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करेंगे।

11. छपरा जिलाः

11.1 मार्च,2013 में जिले में 20 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुआ है। इतने अधिक संख्या में वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने के कारणों का विश्लेषण किया जाना है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी अपने स्तर से वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने के कारणों का विश्लेषण करवा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करवाएंगे।

11.2 जिले में मार्च,2013 में मात्र 1570 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कराया गया है। करीब 32000 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कराया जाना शेष है। निदेश दिया गया कि जून,2013 तक शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कर दिया जाना है।

11.3 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 46 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। धारा–126 के अन्तर्गत 05 उपभोक्ता के विरूद्ध कार्रवाई की गयी है। बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। निदेश दिया गया कि बिजली चोरी के मामले में गिरफ्तारी में तेजी लायी जानी है।

11.4 सर्टिफिकेट केस के मामले में रू02.23 लाख रूपये की वसूली की गयी है।

11.5 जिले में मात्र 3.5 कि.मी. रिकंडक्टरिंग का कार्य किया गया है, यह बहुत ही दयनीय है। निदेश दिया गया कि अप्रैल,2013 में निश्चित रूप से रिकंडक्टरिंग में प्रगति लायें।

11.6 विद्युत आपूर्त्ति (पश्चिमी) प्रमंडल का कार्यकलाप दयनीय है। जिला स्तर पर इस प्रमंडल की समीक्षा की आवश्यकता है।

12. सिवान जिलाः

12.1 जिले में मार्च,2013 में 10 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुआ है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी प्रत्येक खराब हुए वितरण ट्रान्सफॉरमर के कारणों से संबंधित प्रतिवेदन देखेंगे तथा preventive measures अपनाने का अनुश्रवण करेंगे।

12.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि टेस्टेड मीटर एवं सील की कमी की बात बताई जाती है। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने बताया कि पर्याप्त मात्रा में मीटर एवं सील उपलब्ध है। महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता, तिरहुत विद्युत आपूर्त्ति क्षेत्र को मीटर एवं सील की कमी की जाँच हेतु निदेश दिया गया।

12.3 जिले के सभी 10 पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

12.4 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के शत–प्रतिशत भवनों का पुनर्मूल्यांकन का कार्य पूरा हो गया है। कुछ जमीन का कागजात पावर कम्पनी के पास नहीं है जिसके कारण पुनर्मूल्यांकन में विलंब हो रहा है।

12.5 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 65 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा धारा–126 के अन्तर्गत 05 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है। धारा–135 के अन्तर्गत रू0 9.86 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू0 04.76 लाख की राजस्व वसूली की गयी है। निदेश दिया गया कि बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में तेजी लायी जानी है तथा गिरफ्तारी निश्चित रूप से किया जाना है।

12.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस के निष्पादन में काफी समस्या है। 114 मामले हैं जिसकी सूची अभीतक विद्युत कार्यपालक अभियन्ता द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। 28 मामलों का रजिस्टर–9 एवं 10 का मिलान हो पाया है। 83 मामलों में नोटिश जारी कर दिया गया है। अगले माह से इसमें प्रगति परिलक्षित होगी।

12.7 जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति ठीक नहीं है। 50 प्रतिशत राजस्व संग्रहण हुआ है। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है।

12.8 सभी सर्टिफिकेट केस पर concentrate करने के बजाय बड़े बकायेदारों के सर्टिफिकेट केस के निष्पादन कराये जाने का निदेश जिलाधिकारी को दिया गया।

12.9 शहरी क्षेत्र में मीटर रिडिंग बहुत कम हुआ है। शहरी क्षेत्र में मीटर रिडिंग कम होने के लिए दायित्व तय करने का निदेश जिलाधिकारी को दिया गया।

12.10 फीडर फ्रेन्चाईजी के कार्यों की भी समीक्षा जिलाधिकारी स्तर पर की जानी है।

13. आयुक्त, सारण ने बताया कि प्रमंडल में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की संख्या शून्य करने के लिए 78 वितरण ट्रान्सफॉरमर को बदलना पड़ा। ट्रान्सफॉरमर की खराबी कम करने के लिए preventive measures का अपनाया जाना आवश्यक है। प्रमंडल के तीनों जिलों में अभी भी 87000 मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता द्वारा मीटर उपलबधता की बात कही गयी परन्तु जिलों में पर्याप्त मात्रा में मीटर उपलब्ध नहीं रहता है। पावर सब–स्टेशन हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेज दिया गया है। सर्टिफिकेट केस में 40 मामलों में बॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है।

14. दरभंगा जिलाः

14.1 जिले में मार्च,2013 में 16 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुआ था जिसे बदल दिया गया है। निदेश दिया गया कि जिस वितरण ट्रान्सफॉरमर पर नियमित उपभोक्ताओं का लोड अधिक है उसका क्षमता विस्तार किया जाना है।

14.2 जिले में 29052 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना शेष है। जिलाधिकारी ने बताया कि मई,2013 तक शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित कर दिया जायगा।

14.3 जिले के 167 सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 20 बी.एम.पी. का कनेक्शन है तथा कुछ पी.एच.ई.डी. का कनेक्शन है जहाँ मीटर शीघ्र लगा दिया जायगा।

14.4 जिले के जाले प्रखंड में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

14.5 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 34 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा धारा–126 के अन्तर्गत 22 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है। धारा–135 के अन्तर्गत रू0 9.78 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू0 04.35 लाख की राजस्व वसूली की गयी है।

14.6 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 795 एल.टी.आई.एस. उपभोक्ता थे जिसमें से सम्प्रति मात्र 54 एल.टी.आई.एस. उपभोक्ता रह गये है, इसकी जाँच जिलाधिकारी अपने स्तर से करा लेंगे।

14.7 जिले के प्रभारी सचिव द्वारा बताया गया कि कुशेश्वरस्थान में पावर सब–स्टेशन हेतु सरकारी जमीन चिन्हित है तथा किरतपुर में निजी जमीन चिन्हित कर लिया गया है। राशि प्राप्त होते ही भू–अर्जन का कार्य शुरू कर दिया जायगा। बंगाली टोल, लहेरियासराय तथा लालबाग में पावर कम्पनी के जमीन से अतिक्रमण हटाने हेतु जिलाधिकारी को निदेश दिया गया।

15. मधुबनी जिलाः

15.1 मार्च,2013 में 9368 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया गया है। 19607 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाया जाना शेष है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 31–05–2013 तक निश्चित रूप से शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा।

15.2 शेष 76 सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से अप्रैल,2013 में मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा।

15.3 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 54 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा धारा–126 के अन्तर्गत 06 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है। धारा–135 के अन्तर्गत रू0 15.25 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू0 7.16 लाख की राजस्व वसूली की गयी है। तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेंल भेजा गया।

15.4 जिले में करीब 76 कि.मी. रिकंडक्टरिंग कराया गया है। निदेश दिया गया कि रिलिज्ड मैटेरियल भंडार में आया या नहीं तथा उसका उचित एकाउन्टल किया गया, इसकी जाँच जिलाधिकारी अपने स्तर से करा लेंगे।

15.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत ऊर्जान्वित 63 राजकीय नलकूपों में से 58 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया है। 05 ऊर्जान्वित राजकीय नलकूपों में त्रुटि पायी गयी, उसका निराकरण करा कर शीघ्र लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया जायगा।

15.6 जिले में आग लग जाने के कारण सर्टिफिकेट केस के सभी कागजात जल गये थे। पुनः सर्टिफिकेट केस दायर करने हेतु कोर्ट फी से संबंधित मामला है। निदेश दिया गया कि प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा बोर्ड ऑफ रेभन्यू को पत्र लिखा जाना है।

15.7 ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि मीटर अधिष्ठापन एवं राजस्व संग्रहण में काफी सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

15.8 जिले में एल.टी.आई.एस. उपभोक्ताओं की संख्या 1367 से घटकर कर मात्र 69 रहा गया है, इसकी जाँच जिलाधिकारी अपने स्तर से करा लेंगे।

16. समस्तीपुर जिलाः

16.1 जिले में मार्च,2013 में करीब 7100 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया गया है। करीब 51000 उपभोक्ताओं के यहाँ अभी मीटर अधिष्ठापित किया जाना शेष है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मीटर लगाने के समय तार उपभोक्ताओं को लगाने के लिए कहा जाता है। सर्विस वायर बदलने की स्थिति में तार उपभोक्ता को ही देना है। जिले में सात एजेन्सी द्वारा मीटर अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि एजेन्सियों की संख्या बढ़ाकर जून,2013 तक निश्चित रूप से शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा।

16.2 जिलाधिकारी ने अनुरोध किया कि अवर प्रमंडल स्तर पर विपत्र भुगतान की सुविधा दी गयी है यदि प्रखंड/थाना स्तर पर विपत्र भुगतान केन्द्र खोल दिया जाता तो उपभोक्ताओं को सुविधा होती। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि प्रखंड /थाना में विद्युत विपत्र भुगतान हेतु जगल उपलब्ध करा दिया जायगा।

16.3 जिले में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है।

16.4 जिले में सर्टिफिकेट केस के 66 मामलों में बॉडी वारण्ट एवं 78 मामलों में कुर्की जब्ती निर्गत किया गया है।

16.5 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 102 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा धारा–126 के अन्तर्गत 58 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है। धारा–135 के अन्तर्गत रू0 25.06 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू0 17.85 लाख की राजस्व वसूली की गयी है। पाँच व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेंल भेजा गया है।

17. बेगुसराय जिलाः

17.1 जिले में मार्च,2013 में 10123 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कराया गया है। शेष करीब 45000 उपभोक्ताओं के यहाँ निर्धारित अवधि में निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित करा दिया जाना है।

17.2 जिले में मार्च,2013 में करीब 4000 आवेदन नया विद्युत संबंध हेतु प्राप्त हुआ है। निदेश दिया गया कि निर्धारित अवधि सभी आवेदन का निष्पादन सुनिश्चित किया जाना है।

17.3 सर्टिफिकेट केस में रू0 6.37 लाख की वसूली की गयी है। 100 मामलों में बॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है तथा दो मामलों में कुर्की जब्ती का वारण्ट निर्गत किया गया है।

17.4 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 50 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा धारा–126 के अन्तर्गत 38 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है। छः व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेंल भेजा गया है।

17.5 बेगुसराय में करीब एक लाख उपभोक्ता है। मीटर रिडिंग एजेन्सी का कार्य असंतोषजनक है। ऊर्जा सचिव ने बताया कि पूर्व में ही निदेश दिया जा चुका है कि विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल स्तर पर मीटर रिडिंग एवं विपत्र वितरण एजेन्सी की नियुक्ति कर कार्य कराया जाना है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसकी समीक्षा अपने स्तर पर कर लें।

17.6 जिले के प्रभावी सचिव ने कहा कि अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। जून,2013 तक शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कराये जाने का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त किया जाना है अन्यथा संबंधित पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जानी है।

18. खगड़िया जिलाः

18.1 जिले में 12176 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापन का कार्य शेष है। मई,2013 तक निश्चित रूप से शेष सभी 12176 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिये जाने का निदेश दिया गया। 72 अमीटरीकृत सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ एक सप्ताह में निश्चित रूप से मीटर का अधिष्ठापन करा दिया जाना है।

18.2 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 46 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा धारा–126 के अन्तर्गत 42 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

18.3 जिले में मार्च,2013 में मात्र 09 कि.मि. रिकंडक्टरिंग का कार्य हुआ है। इसकी प्रगति बढ़ायी जानी है।

18.4 जिले में 06 सर्टिफिकेट केस का निष्पादन कराया गया है।

18.5 जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति असंतोषजनक है। इसमें अधिक सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

19. सहरसा जिलाः

19.1 जिले में करीब 14000 उपभोक्ताओं के यहाँ अभी भी मीटर अधिष्ठापन किया जाना है। मई,2013 तक शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बचे हुए 26 सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ शीघ्र मीटर अधिष्ठापित कर दिया जाना है।

19.2 मार्च,2013 में 38 कि.मी. रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया गया है। इसमें तेजी लाये जाने का निदेश दिया गया।

19.3 माननीय लोकसभा सदस्य, मधेपुरा द्वारा MPLADS से 16 के.वी.ए. के 57 एवं 25 के. वी.ए. के 85 वितरण ट्रान्सफॉरमर को 63/100 के.वी.ए. वितरण ट्रान्सफॉरमर से बदले जाने हेतु पत्र भेजा गया है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि संबंधित पत्र अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) को शीघ्र फैक्स करा दिया जाना है।

20. मधेपुरा जिलाः

20.1 जिले में 14507 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना शेष है। प्रकृति इन्टरप्राइजेज द्वारा मीटर अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा था। करीब 6000 मीटर अधिष्ठापित कर दिया गया है जिसका रिपोर्ट विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल को नहीं भेजा गया है। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने बताया कि मीटर अधिष्ठापन का रिपोर्ट एम. आर.टी. अंचल को भेज दिया गया है। महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता द्वारा बताया गया कि G-Format में रिपोर्ट दे दिया है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि वैसे सभी उपभोक्ताओं को बिलिंग सायकल में शीघ्र लाना है।

20.2 10 सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना बाकी है जिसे शीघ्र पूरा किया जाना है।

20.3 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 16 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा धारा–126 के अन्तर्गत 14 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

20.4 सर्टिफिकेट केस में 20 मामले को चिन्हित किया गया था उसमें से तीन मामलों में राजस्व की वसूली हुई है।

21. सुपौल जिलाः

21.1 जिले में 12077 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। चार एजेन्सी कार्यरत है। एजेन्सियों की संख्या बढ़ा कर निर्धारित अवधि में शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित करा दिया जाना है। बसंतपुर में एक सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाया जाना है जिसे शीघ्र लगा दिया जायगा।

21.2 मार्च,2013 में रिकंडक्टरिंग नहीं कराया गया है। निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुसार रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया जाना है।

21.3 त्रिवेणीगंज पावर सब–स्टेशन हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव आयुक्त महोदय के माध्यम से राजस्व विभाग को भेज दिया गया है।

22. मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने के कारणों की समीक्षा कर उसका निदान किया जाना है ताकि भविष्य में वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने की स्थिति में काफी हद तक काबू पाया जा सके। निदेश दिया गया कि विद्युत विपत्र भुगतान का काउण्टरों की संख्या बढ़ायी जानी है।

23. ऊर्जा सचिव ने बताया कि मार्च,2013 में 1116 व्यक्तियों पर बिजली चोरी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया तथा 1148 उपभोक्ताओं का विद्युत संबंध विच्छेद किया गया। मार्च,2013 में 73242 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया गया है। बक्सर, अरवल, लखीसराय,

भोजपुर, गया जिलों में अधिक संख्या में वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हो रहे हैं। निदेश दिया गया कि सभी जिलाधिकारी अपने स्तर से जाँच करवा लें कि सभी वितरण ट्रान्सफॉरमर में protective measures अपनाया गया है या नहीं। शेखपुरा एवं लखीसराय जिला में रिकंडक्टरिंग की स्थिति असंतोषजनक है।

24. भागलपुर जिलाः

24.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि करीब 30000 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। जून,2013 तक निश्चित रूप से शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 77 सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना शेष रह गया है जिसे अप्रैल,2013 तकं निश्चित रूप से मीटर लगा दिया जायगा।

24.2 आयुक्त, भागलपुर की अध्यक्षता में बुनकरों के साथ बैठक हुई थी। बुनकरों द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान शुरू किया गया है। कुछ बुनकरों द्वारा नये कनेक्शन का आवेदन भी दिया गया है।

24.3 जिले के सरकारी विभागों से 70 प्रतिशत बकाये की वसूली कर ली गयी है। स्वास्थ्य, शहरी विकास विभाग के यहाँ विद्युत विपत्र का बकाया रह गया है जिसे शीघ्र वसूल कर लिया जायगा।

24.4 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 69 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा धारा–126 के अन्तर्गत 17 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है। पाँच व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

24.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस का अनुश्रवण किया जा रहा है। मार्च,2013 में रू0 3.10 लाख की वसूली की गयी है।

24.6 जिले में रिकंडक्टरिंग में सुधार हुआ है। मार्च,2013 में 56 कि.मी. रिकंडक्टरिंग हुआ है।

24.7 पिरपैंती में प्रस्तावित थर्मल पावर स्टेशन के बाउन्ड्री पीलर का काम जल्द शुरू हो जायगा।

24.8 ROW की समस्या का समाधान करा दिया गया है तथा पावर ग्रीड द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है।

24.9 मार्च,2013 में 14 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुआ है। अधिक संख्या में वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होता है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी तय की जानी है। यदि टी. आर.डब्ल्यू. के रिपेयर की गुणवत्ता में कमी है तो उसे अवश्य ठीक किया जाना है।

24.10 राजस्व संग्रहण में काफी सुधार की आवश्यकता है। प्रबंध निदेशक (साउथ) ने बताया कि एक लाख साठ हजार उपभोक्ताओं में 80 हजार उपभोक्ताओं का मिनिमम पर विपत्रीकरण हो रहा है जिसका प्रभाव राजस्व संग्रहण पर पड़ता है। सभी मीटरीकृत उपभोक्ताओं का मीटर रिडिंग के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित किया जाना है।

25. बाँका जिलाः

25.1 जिले के शहरी क्षेत्रों में 07 घण्टा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

25.2 मार्च,2013 में 1759 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया गया है। शेष करीब 14000 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ जून,2013 तक निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा।

25.3 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 21 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा धारा–126 के अन्तर्गत 04 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी

है। पाँच व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। रू01.92 लाख दण्डात्मक राशि की वसूली की गयी।

25.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस के 20 बड़े बकायेदारों की सूची बना कर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

25.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि का सर्वे रिपोर्ट भेज दिया गया है। इस पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार द्वारा कार्रवाई की जानी है।

25.6 नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 08 ऊर्जान्वित राजकीय नलकूपों में से 05 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया है। शेष 03 राजकीय नलकूपों का अप्रैल,2013 में लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया जायगा।

25.7 ऊर्जा सचिव ने बताया कि बाँका जिला का राजस्व संग्रहण राज्य में सभी जिलों से नीचे है। इसमें काफी सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

25.8 मीटर रिडिंग एजेन्सी की संख्या बढ़ाकर शत–प्रतिशत मीटरीकृत उपभोक्ताओं का मीटर रिडिंग सुनिश्चित कराया जाना है।

25.9 आयुक्त, भागलपुर ने बताया कि बुनकरों के साथ बैठक की गयी थी। करीब रू0 12. 00 लाख की वसूली की गयी है। आयुक्त ने बताया कि मीटर अधिष्ठापन सही रूप में हो रहा है इसकी जाँच कराये जाने की आवश्यकता है।

26. पटना जिलाः

26.1 मार्च 2013 में 94 किलोमीटर रिकन्डक्टरिंग कार्य हुआ है। इस कार्य में अधिक प्रगति की आवश्यकता है।

26.2 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा 135 के अंतर्गत 431 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा धारा 126 के अंतर्गत 175 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गई है।

26.3 नये विद्युत संबंध हेतु अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। जिस परिसर के लिए नया विद्युत संबंध मांगा जा रहा है उस परिसर पर विद्युत विपत्र का बकाया नहीं है इसकी जाँच निश्चित रूप से की जानी है।

26.4 जल पर्षद पटना नगर निगम पर विद्युत विपत्र का बकाया अधिक है। नगर निगम के बकाये होल्डिंग टैक्स के समायोजन हेतु मामला लम्बित है।

26.5 मार्च, 2013 में 20,835 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहां मीटर अधिष्ठापित किया गया। अभी भी करीब 80,000 अमीटरीकृत उपभोक्ता हैं जिनके यहाँ जून 2013 तक मीटर अधिष्ठापित कर दिया जाना है।

26.6 जिल के 264 अमीटरीकृत सरकारी उपभोक्ताओं के यहां 15 दिन में मीटर अधिष्ठापित सुनिश्चित किया जाना है।

26.7 मोकामा एवं बाढ़ में बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी के दौरान मारपीट की घटना हुई थी। जिला प्रशासन द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है।

26.8 पेसू विद्युत आपूर्त्ति क्षेत्र में स्पॉट बिलिंग मशीन से मीटर रीडिंग होने के बावजूद भी विपत्रीकरण दक्षता 60 प्रतिशत है, जिलाधिकारी अपने स्तर से इसकी समीक्षा करायेंगे।

27. नालंदा जिलाः

27.1 जिले के शहरी क्षेत्र में 18 घंटा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 13 घंटे विद्युत की आपूर्त्ति हो रही है।

27.2 मार्च 2013 में 14 वितरण ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कनीय विद्युत अभियंता/सहायक विद्युत अभियंता का कहना है कि ओवर लोड तथा इन्टरनल फाल्ट के चलते वितरण ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं। निदेश दिया गया कि

सभी वितरण ट्रांसफार्मर में Preventive Measures अपनाया जाना है ताकि वितरण ट्रांसफार्मर को खराब होने से बचाया जा सके।

27.3 जिले में 4257 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहां मार्च 2013 में मीटर अधिष्ठापित किया गया। करीब 23,000 उपभोक्ताओं के यहां मीटर अधिष्ठापित किया जाना शेष है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मीटर अधिष्ठापन हेतु 18 और एजेंसी की नियुक्ति कर ली गई है। जून 2013 तक शतप्रतिशत उपभोक्ताओं के यहां मीटर अधिष्ठापित कर दिया जाना है। 80 सरकारी उपभोक्ताओं के यहां मीटर का अधिष्ठापन किया जाना है जिसे शीघ्र कर दिया जायगा।

27.4 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा 135 के विरूद्ध 29 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा धारा 126 के विरूद्ध 23 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गई है। 09 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

27.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस के त्वरित निष्पादन हेतु दिनांक 16.04.2013 को बैठक बुलाई गई है।

27.6 मार्च 2013 में 129.6 किलोमीटर रिकन्डक्टरिंग कार्य हुआ है। रिलिज्ड मेटेरियल भंडार में जमा हो गया है।

27.7 कराय परसुराय में पावर सबस्टेशन निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर लिया गया है, पैसा भी मिल चुका है, परन्तु रास्ते की समस्या है। इसके समाधान के लिए अपर समाहर्त्ता को भेजा गया है। निश्चलगंज में पावर सबस्टेशन निर्माण हेतु जो जमीन चिन्हित किया गया था इसमें गड्ढा रहने के कारण उसे अनुपयुक्त पाया गया है।

27.8 जिले में विद्युत विपत्र वितरण की स्थिति ठीक नहीं है। यदि विद्युत विपत्र समय पर उपभोक्ताओं को मिल जाता है तो निश्चित रूप से राजस्व संग्रहण में सुधार होगा।

28. भोजपुर जिला :

28.1 जिले में 13241 उपभोक्ताओं के यहां मीटर अधिष्ठापित किया जाना शेष है। जिले के उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि मीटर अधिष्ठापन का कार्य 06 एजेंसियों द्वारा कराया जा रहा है। इसकी संख्या बढ़ाकर जून 2013 तक शतप्रतिशत उपभोक्ताओं के यहां मीटर अधिष्ठापित कर दिया जायगा। 32 सरकारी उपभोक्ताओं के यहां निश्चित रूपसे मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा।

28.2 मार्च 2013 में 14.5 किलोमीटर रिकन्डक्टरिंग का कार्य हुआ है। इस कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता है।

28.3 उदवन्तनगर में पावर सबस्टेशन हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेज दिया गया है।

28.4 विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा 135 के अंतर्गत 45 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा धारा 126 के अंतर्गत 33 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गई। 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

28.5 नाबार्ड फेज –11 के अंतर्गत 51 ऊर्जान्वित नलकूपों में से 47 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। शेष 04 ऊर्जान्वित राजकीय नलकूपों को शीघ्र लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया जायगा।

28.6 प्रबंध निदेश (साउथ) ने बताया कि ए0डी0बी0 के तहत आरा शहर के विद्युत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना है। इस योजना का कार्यान्वयन मेसर्स ए2जेड द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया कि जो वितरण व्यवस्था में constraints हैं जैसे वितरण ट्रांसफर्मर का क्षमता विस्तार, पुराने एवं जर्जर तारों को बदला जाना इत्यादि वैसे कार्य को अपने स्तर से प्राथमिकता पर अनुश्रवण कर पूरा कराया जाना है।

28.7 जिले में करीब 57000 उपभोक्ताओं का minimum पर विपत्रीकरण हो रहा है जिसका कुप्रभाव राजस्व संग्रहण पर पड़ रहा है। सख्त निदेश दिया गया कि शतप्रतिशत मीटरीकृत उपभोक्ताओं का मीटर रीडिंग के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जायगी।

28.8 प्रबंध निदेश (साउथ) द्वारा बताया गया कि भोजपुर में दो अतिरिक्त विद्युत विपत्र भुगतान केन्द्र खोला गया है तथा अन्य जगहों पर भी विद्युत विपत्र भुगतान केन्द्र खोले जाने की योजना है।

28.9 किये जा रहे मीटर अधिष्ठापन का फिक्सिंग स्लिप जमा किया जाना है तथा उपभोक्ताओं को बिलिंग साइकिल में शीघ्र लाया जाना है।

29. रोहतास जिला :

29.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्र में 8.5 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 06.00 घंटे बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है।

29.2 मार्च 2013 में 9913 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया गया है। पूर्व से 07 एजेंसियों द्वारा मीटर अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है तथा 05 और नयी एजेंसी की नियुक्ति कर ली गई है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मई 2013 तक शतप्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा लिया जायगा। अप्रैल 2013 में शेष बचे 64 सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा।

29.3 विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा 135 के अंतर्गत 112 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई तथा रू0 63.63 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू0 29.37 लाख की वसूली की गई। धारा 126 के विरूद्ध 08 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गई। 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

29.4 प्रबंध निदेशक (साउथ) द्वारा बताया गया कि जिले में रिकन्डक्टरिंग का कार्य अच्छा हुआ है परन्तु रिलीज्ड मेटेरियल का एकाउन्टल नहीं हो रहा है। निदेश दिया गया कि विद्युत कार्यपालक अभियंता/ विद्युत अधीक्षण अभियंता द्वारा विशेष निगरानी कर रिलीज्ड मेटेरियल का एकाउन्टल सुनिश्चित कराया जाना है।

29.5 जिले में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त 26 विद्युत विपत्र भुगतान केन्द्र खोला गया है।

30. कैमूर जिला :

30.1 उप विकास आयुक्त ने बताया कि 18976 उपभोक्ताओं के यहाँ अप्रैल 2013 में मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा।

30.2 विद्युत चोरी के विरूद्ध धारा 135 के विरूद्ध 41 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई एवं 03 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। धारा 135 के अंतर्गत रू0 20.27 लाख की दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू0 6.20 लाख की वसूली की गई ।

30.3 जिले में मार्च 2013 में 12 सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है। सर्टिफिकेट केस से संबंधित मामलों में फरवरी तक रू0 12.87 की वसूली हुई।

30.4 जिले में 986 किलोमीटर के विरूद्ध 628.76 किलोमीटर रिकन्डक्टरिंग का कार्य हुआ है। विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि 40 प्रतिशत रिलीज्ड मेटेरियल स्टोर में जमा कर दिया गया है।

30.5 जिले में नाबार्ड फेज–11 के अंतर्गत 110 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसके विरूद्ध 56 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया हैं। 13 राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन का कार्य चल रहा है

जिसे अप्रैल 2013 तक पूर्ण कर दिये जाने का लक्ष्य एजेंसी (आर0एम0एस0) को दिया गया है।

30.6 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में विद्युत विपत्र वितरण का कार्य बहुत कम हुआ है। इसमें काफी प्रगति लाने की आवश्यकता है।

30.7 129 सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना शेष है। बताया गया कि लघु जल संसाधन विभाग के सभी राजकीय नलकूपों में लगे मीटर के अद्यतन स्थिति की जाँच की जानी है।

31. गया जिला :

31.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के शहरी क्षेत्र में 17 घंटा एवं ग्रामीण क्षेत्र में 13 घंटे विद्युत आपूर्त्ति की जा रही है।

31.2 जिले में मार्च 2013 में 27 वितरण ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं। मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि इतनी अधिक संख्या में वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने का एकमात्र कारण preventive measures नहीं अपनाया जाना है। निदेश दिया गया कि सभी वितरण ट्रान्सफॉरमर में निश्चित रूप से 15 दिनों के अन्दर preventive measures लिया जाना है अन्यथा सख्त कार्रवाई की जायगी।

31.3 शेरघाटी में मात्र 710 उपभोक्ताओं का ही मीटर रिडिंग किया गया है। ऊर्जा सचिव ने कहा कि एक ही एजेन्सी से सभी कार्य कराये जाने के कारण ऐसा हो रहा है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि समाचार पत्र में विज्ञापन निकाल कर एजेन्सियों की नियुक्ति की जानी है।

31.4 निदेश दिया गया कि मई,2013 तक शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया जाना है।

31.5 मार्च,2013 में 56.5 कि.मी. रिकंडक्टरिंग हुआ है। शेरघाटी विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल में रिकंडक्टरिंग शून्य है। निदेश दिया गया कि लक्ष्यानुसार रिकंडक्टरिंग सुनिश्चित किया जाना है।

31.6 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 86 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा धारा–126 के अन्तर्गत 13 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है। 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

31.7 सर्टिफिकेट केस में रू0 12.00 लाख की वसूली मार्च,2013 में किया गया है।

31.8 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि डोभी चेक पोस्ट के लिए डेडीकेटेड फीडर बनाया जाना है। डेडीकेटेड फीडर हेतु सर्वे का कार्य पूरा करा लिया गया है।

31.9 जिले में तीन पावर सब–स्टेशन हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव में आयुक्त महोदय द्वारा पृच्छा की गयी थी जिसका निराकरण कर पुनः प्रस्ताव आयुक्त महोदय को भेज दिया गया है।

31.10 ऊर्जा सचिव ने बताया कि जिले के विपत्रीकरण दक्षता की स्थिति दयनीय है। निदेश दिया गया कि विपत्रीकरण एजेन्सी को बुला कर जिलाधिकारी द्वारा इसकी समीक्षा की जानी है।

31.11 प्रबंध निदेशक (साउथ) द्वारा बताया गया कि मगध विद्युत आपूर्त्ति क्षेत्र के कार्य–कलापों की समीक्षा के दरम्यान शेरघाटी विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल में उपभोक्ताओं के यहाँ विद्युत विपत्र के मद में अधिक बकाया है। बकायेदारों का विद्युत संबंध विच्छेद करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी को बकायेदारों की सूची उपलब्ध करा दी जायगी।

31.12 मीटरीकृत सरकारी उपभोक्ताओं का मीटर रिडिंग के आधार पर विपत्रीकरण हो रहा है। इसकी जाँच जिलाधिकारी अपने स्तर से करा लेंगे।

31.13 मानपुर–टनकूपा लाईन में बार–बार चोरी होने के कारण पावर ग्रीड द्वारा कार्य करवाने में असमर्थता व्यक्त किया गया है। जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया कि वरीय आरक्षी अधीक्षक से बात कर इसका समाधान निकाला जाना है।

31.14 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्याकंन कर प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जाना है।

32. औरंगाबाद जिलाः

32.1 जिले में 9826 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना शेष है। अपर जिला समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि मई,2013 तक सभी उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा। शत–प्रतिशत सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया गया है। निदेश दिया गया कि शत–प्रतिशत सरकारी उपभोक्ताओं का मीटर रिडिंग के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित किया जाना है।

32.2 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 89 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा धारा–126 के अन्तर्गत 05 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है। धारा–135 के अन्तर्गत रू036.83 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू020.40 लाख की वसूली की गयी। 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

32.3 अपर जिला समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस में धारा–7 के अन्तर्गत नोटिश निर्गत किया गया है।

32.4 जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति दयनीय है। इसमें अधिक सुधार लाये जाने की आवश्यकता है।

32.5 जिले के प्रभारी सचिव द्वारा बताया गया कि लाईन स्टाफ की कमी है जिसके कारण सारे कार्य कनीय विद्युत अभियन्ताओं को ही करना पड़ रहा है। अनुरोध किया गया कि सेवा–निवृत्त कामगारों की पुनर्नियुक्ति की जानी चाहिए। औरंगाबाद में ही मीटर का भंडारण किया जाना चाहिए।

33. नवादा जिलाः

33.1 जिले में 14751 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना शेष है। निदेश दिया गया कि मई,2013 तक शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित निश्चित रूप से कर दिया जाना है।

33.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि शेष बचे 49 सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ शीघ्र मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा तथा मीटर रिडिंग के आधार पर शत–प्रतिशत सरकारी उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण सुनिश्चित करा दिया जायगा।

33.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुछ सरकारी उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी सरकारी उपभोक्ताओं से राजस्व की वसूली कर ली गयी है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि वैसे सरकारी उपभोक्तओं का विद्युत संबंध विच्छेद किया जाना है जिनके यहाँ विद्युत विपत्र का बकाया है, अस्पताल एवं जलापूर्त्ति से संबंधित उपभोक्ता को छोड़कर।

33.4 विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के विरूद्ध 24 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा धारा–126 के अन्तर्गत 45 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी। धारा–135 के अन्तर्गत रू0 9.70 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू0 3.46 लाख की वसूली की गयी। 09 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

33.5 मार्च,2013 में 6.5 कि.मी. रिकंडक्टरिंग हुआ है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार रिंकडक्टरिंग सुनिश्चित कराया जाना है। जिलाधिकारी विद्युत कार्यपालक अभियन्ता से भंडार में रिलिज्ड मैटेरियल लौटाए जाने का विवरण प्राप्त कर लें।

33.6 नवादा–नरहट लाईन में चोरी हो जाने के कारण पावर ग्रीड द्वारा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि भुगतान के आधार पर armed force की व्यवस्था कर दिया जायगा।

34. जहानाबाद जिलाः

34.1 जिले के शहरी क्षेत्र में 14 घण्टा तथा ग्रामीण क्षेत्र में 12 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

34.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लगाये गये 25 के.वी.ए. के 05 एवं 16 के.वी.ए. के 71 खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को बदले जाने हेतु पावर ग्रीड से बात की गयी थी तथा पावर ग्रीड एक महीने में बदलने का आश्वासन दिया है।

34.3 जिले में 14059 उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण मिनिमम पर हो रहा है। इस संबंध में विपत्रीकरण एजेन्सी को बुलाया गया है।

34.4 मखदुमपुर की स्थिति ठीक नहीं है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि मखदुमपुर डिवीजन के कार्य–कलापों की समीक्षा अपने स्तर पर निश्चित रूप से कर लें।

34.5 जिले में करीब 11000 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। जून,2013 तक शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित करा दिया जाना है। जिले में 150 सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी अपने स्तर से अनुश्रवण कर अप्रैल,2013 में सभी सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापन सुनिश्चित करायेंगे।

34.6 जिलाधिकारी ने बताया कि गहन समीक्षा के लिए जिले के मीटरींग एजेन्सी/ मीटर रिडिंग एजेन्सी/ विपत्रीकरण एजेन्सी/विपत्र वितरण एजेन्सी की बैठक 09–04–2013 को बुलाई गयी है।

35. अरवल जिलाः

35.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल कार्यालय का मरम्मति का कार्य शुरू नहीं किया गया है। मुख्य अभियन्ता (असैनिक) द्वारा बताया गया कि 10 अप्रैल,2013 को निविदा खोला जायगा तथा 15 अप्रैल,2103 से निश्चित रूप से कार्य प्रारम्भ करा दिया जायगा।

35.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुर्था–करपी मिलाकर 31 पंचायत है। इन पंचायतों तकं एक लम्बे अर्से से लगभग 2.5 करोड़ रूपये का विद्युत बकाया चला आ रहा है। उपभोक्ताओं को कहना है कि जिस अवधि में विद्युत आपूर्त्ति नहीं की गयी है उस अवधि का भी विपत्र भेजे जाने के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। निदेश दिया गया कि महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता, मगध विद्युत आपूर्त्ति क्षेत्र अरवल जायेंगे तथा जिलाधिकारी से मिल कर इसका समाधान निकाला जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि गतिरोध समाप्त होते ही विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।

35.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुर्था–अतौला लाइन में शीघ्र VCB लगाया जाना है।

35.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 11 के.वी. लाईन में squirrel तार लगाया जा रहा है। महाप्रबंधक को निदेश दिया गया कि 11 के.वी. लाईन उपयुक्त क्षमता का तार नहीं लगाया जाना है और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है।

35.5 जिले में लगभग 09 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है।

36. **मुँगेर जिलाः**

36.1 जिले के तारापुर एवं खड़गपुर में बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी बढ़ाया गया है।

36.2 रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया जा रहा है। रिलिज्ड मैटेरियल के एकाउण्टल की जाँच जिलाधिकारी अपने स्तर से करा लेंगे।

36.3 जिले में मीटर अधिष्ठापन का कार्य असंतोषजनक है। एजेन्सी की संख्या बढ़ाकर जून,2013 तक शेष बचे 20000 उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से मीटर का अधिष्ठापन करा दिया जाना है।

36.4 असरगंज पावर सब–स्टेशन के संबंध में पावर ग्रीड द्वारा लक्ष्य दिनांक 30–04–2013 पुनर्निधारित किया गया है।

37. **जमुई जिलाः**

37.1 जिले में 11000 मीटर अधिष्ठापित किया जाना शेष है। चार एजेन्सियों द्वारा मीटर अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है। एजेन्सियों की संख्या कम–से–कम बारह कर जून,2013 तक निश्चित रूप से शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है।

37.2 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 42 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है तािा धारा–126 के अन्तर्गत 52 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है। धारा–135 के अन्तर्गत रू021.38 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू0 4.79 लाख की वसूली की गयी है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

37.3 जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति असंतोषजनक है। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है।

37.4 ऊर्जा सचिव द्वारा सहायक विद्युत अभियन्ता, सिकन्दरा को सख्त निदेश दिया गया कि राजस्व संग्रहण बढ़ाये अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायगी।

38. **लखीसराय जिलाः**

38.1 जिले में 04 घंटा बिजली की आपूर्ति हो रही है।

38.2 जिले में 11803 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना शेष है। निदेश दिया गया कि एजेन्सियों की संख्या बढ़ा कर जून,2013 तक निश्चित रूप से शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाना है।

38.3 बिजली चोरी के विरूद्ध धारा–135 के अन्तर्गत 70 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा धारा–126 के अन्तर्गत एक उपभोक्ता पर कार्रवाई की गयी है। धारा–135 के अन्तर्गत रू027.13 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू014.72 लाख की वसूली की गयी है।

38.4 सर्टिफिकेट केस के निष्पादन में कोई प्रगति नहीं है। ऊर्जा सचिव द्वारा इस कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अप्रैल,2013 में बकायेदारों के विरूद्ध कुर्की–जब्त एवं बॉडी वारण्ट निर्गत करा दिया जायगा।

38.5 प्रबंध निदेशक (साउथ) ने बताया कि मार्च,2013 में 08 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुए हैं जो मुख्यतः बिजली की चोरी के कारण है। जिलाधिकारी अपने स्तर से अनुश्रवण कर जिले में बिजली चोरी पर रोक लगाएगें।

39. **शेखपुरा जिलाः**

39.1 जिले में 5565 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना शेष है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मई,2013 तक शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापन सुनिश्चित करा दिया जायगा।

39.2 बिजली चोरी के विरूद्ध धारा–135 के अन्तर्गत 13 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। धारा–135 के अन्तर्गत रू01.38 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू01.17 लाख की वसूली की गयी है।

39.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस बहुत पुराने हैं। सभी बकायेदारों को 15 दिनों का नोटिश दिया गया है। यदि इसके बाद भी बकायेदार उपस्थित नहीं होते हैं तो कुर्की–जब्ती एवं बॉडी वारण्ट निर्गत किया जायगा।